an>

Title: Need to provide financial and administrative power to Kshetra Panchayat Members to enable them to fulfil the aspirations of the people at the Panchayat level.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर लागू है। भारत में प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा, विधान सभा एवं लोक सभा की अवधारणा पर आधारित प्रजातांत्रिक प्रणाली कार्य करती है। उक्त तीनों अंग जनता के द्वारा चुने जाने के कारण जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की एक ईकाई क्षेत्र पंचायत सदस्यों की होती है। इन क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव पूरे देश में औसत दो हजार आबादी के द्वारा चुनकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। संविधान में वर्णित व्यवस्था के कारण क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सिर्फ अपने प्रमुख को मतदान करने के अलावा कोई वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया जाता है। यहां तक कि वह क्षेत्र पंचायत की बैठक में ग्राम सभा के विकास संबंधी कोई प्रस्ताव भी नहीं दे सकता है। फलस्वरूप इतनी बड़ी आबादी से चुनने के बाद भी क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने आप को पंचायती राज व्यवस्था में उपेक्षित महसूस करता है और अपने को मतदाताओं की अपेक्षाओं पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सक्षम नहीं पाता है जिससे कहीं न कहीं त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की गरिमा के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान करें ताकि वे भी जनता की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को स्थानीय स्तर पर पूर्ण कर सकें।